



सत्यमेव जयते

फा. सं. को./आ.-I/तक/80उ.(80G)

आयकर आयुक्त - I का कार्यालय, कोल्हापुर

आयकर भवन, 31 सी/2, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

117-67/2011-12/428

दिनांक- 25.05.2012

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन

मान्यता प्रमाण-पत्र

दानकर्ताओं द्वारा सांगली मिशन सोसायटी, कूपवाड रोड, मिरज को दिये गये

दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (80G) में विहित शर्तों और सीमाओं के अधीन कर राहत के लिए पात्र होंगे।

2. यह प्रमाणपत्र दिनांक 01-04-2012 से वैध है तथा इस कार्यालय द्वारा मान्यता वापस लेने तक वैध रहेगा।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (4 क) [139 (4 A)] व आयकर नियमावली 1962 के नियम 12 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 25.05.2012

कोल्हापुर



(एल. आर. सिंह)

आयकर आयुक्त - I कोल्हापुर

प्रतिलिपि : सांगली मिशन सोसायटी, अल्फोल्डा, कूपवाड रोड, मिरज, जि. सांगली,

1. न्यास/ संस्था

2. आयकर अपर आयुक्त रेंज - 1, कोल्हापुर

3. आयकर संयुक्त आयुक्त रेंज - 1/2, सांगली रेंज, सांगली

4. आयकर सहायक आयुक्त / आयकर अधिकारी वार्ड 1 (1) कोल्हापुर/ सांगली

नोट:

अ) दानकर्ताओं को जारी की गयी रसीदों में इस आदेश की संख्या व तारीख का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह प्रमाणपत्र दिनांक 01-04-2012 से वैध है।

आ) आय-व्यय खाता और तुलन-पत्र को हर साल आयकर सहायक आयुक्त / आयकर अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(पद्मजा कुंबळे)

(पद्मजा कुंबळे)

आयकर सहायक आयुक्त (सूचना तकनीकी)
कोल्हापुर